राजस्थान सरकार

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर

क्रमांकःएफ.5(Ragging)प्राशिनि/ई–2/7079 दिनांक : 13-08-2009

–: परिपत्र :–

शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग की समस्या को रोकने हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 887/2009 [SLP(C) 27295/2000] में पारित आदेश दिनांक 11-02-09 की क्रियान्विति के संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रलय द्वारा जारी दिशा निर्देशों की प्रति (जो कि विभागीय वेबसाईट http://dte.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है) संलग्न कर निर्देश प्रदान किये जाते है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुरूप समस्त पॉलिटेक्निक संस्थानों में रैगिंग को रोके जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जावें।

प्रत्येक संस्थान में संस्थान स्तर पर एंटी रैगिंग कमेटी [Anti Ragging Committee] **तथा एंटी रैगिंग स्क्वाड** [Anti Ragging Squad] **का गठन किया जावें।** एंटी रैगिंग कमेटी तथा एंटी रैगिंग स्क्वाड के सदस्यों के चयन में विभिन्न संवर्ग का प्रतिनिधित्व हों, जिसमें महिलाऐं भी सम्मिलित हो। **एंटी रैगिंग कमेटी प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में गठित होगी** जिनमें निम्नानुसार प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जावेः–

- *Representative of Civil and Police Administration*
- *Representative of Local Media*
- *Representative of N.G.O. involved in Youth Activities*
- *Representative of Faculty Members*
- *Representative of Parents*
- *Representative of Students belonging to the fresher's category as well as seniors*
- *Representative of Non – Teaching Staff*

एंटी रैगिंग स्क्वाड संस्था प्रधान द्वारा एंटी रैगिंग कमेटी के प्रतिनिधियों में से संस्थान के ही प्रतिनिधियों को सम्मिलित करते हुए स्वयं की अध्यक्षता में तैयार किया गया एक उड़न दस्ता होगा जो कि **रैगिंग को रोके जाने के संबंध में सदैव सजग रहेगा तथा आकस्मिक रूप से छात्रवासों, केन्टीन एवं अन्य स्थानों जहॉ पर रैगिंग की संभावना हो, समय–समय पर निरीक्षण करेगा।** एंटी रैगिंग स्क्वाड पूर्णतः एंटी रैगिंग कमेटी के निर्देशानुसार कार्य करेगा इस दस्ते में संस्थान के अतिरिक्त कोई भी बाहरी प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं किया जायेगा तथा संस्थान परिसर में से ही विभिन्न संवर्गो में से इसमें प्रतिनिधित्व दिया जायेगा।

पॉलिटेक्निक संस्थान **संयुक्त निदेशक एंव सचिव, प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर की अध्यक्षता में स्थापित एंटी रैगिंग मोनिटरिंग सैल को इस संबंध में** रिपोर्ट प्रेषित करेंगें तथा समय–समय पर मार्ग–दर्शन प्राप्त करेंगें।

प्रत्येक संस्थान में संस्था प्रधान द्वारा हॉस्टल वार्डन के मोबाईल फोन नम्बर और संस्थान के प्रधानाचार्य के दूरभाष नम्बर एवं एंटी रैगिंग कमेटी तथा एंटी रैगिंग स्क्वाड के सदस्यों के दूरभाष नम्बर, जिला स्तर एवं राज्य स्तरीय एंटी रैगिंग कमेटी के सदस्यों के दूरभाष नम्बरों की जानकारी विद्यार्थियों **विशेष रूप से प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को दिये जाने हेतु पेम्पलेट के माध्यम से वितरित करने तथा प्रत्येक सत्र के प्रारम्भ में सभी विद्यार्थियों से रैगिंग नहीं करने के संबंध में शपथ–पत्र लिये जाने की कार्यवाही भी की जावे।**

प्रत्येक **प्रधानाचार्य संस्थान में कार्यरत प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी जिसमें शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक कार्मिक, अनुबन्ध पर कार्यरत कार्मिक, संस्थान परिसर में केन्टीन चलाने वाले ठेकेदार एवं उसके अधीनस्थ कार्यरत कार्मिक, चौकीदार एवं अन्य सफाई कर्मी आदि समस्त कार्मिकों से इस आशय की अण्डरटेकिंग प्राप्त करेगा कि रैगिंग संबंधी कोई भी गतिविधि उक्त कार्मिक के ध्यान में आते ही वह इसकी सूचना तुरन्त प्रधानाचार्य को देगा।**

नव प्रवेशित छात्रें को छोटे–छोटे समूह में विभाजित किया जाकर प्रत्येक समूह की जिम्मेवारी संस्थान में कार्यरत अध्यापकों/कार्मिकों को दी जावेगी उक्त कार्मिक अपने समूह के छात्रें से प्रतिदिन चर्चा कर उनकी समस्याओं एवं कठिनाईयों के संबंध में जानकारी प्राप्त करेगा तथा इस संबंध में उनकी मदद हेतु आवश्यक कदम उठायेगा । यदि नव प्रवेशित छात्र छात्रवास में निवास करते हैं यह उस समूह के अध्यापक की जिम्मेवारी होगी कि वह अपने समूह के छात्रें एवं छात्रवास वार्डन से समन्वय स्थापित करें तथा इन छात्रें के कक्षों में आकस्मिक निरीक्षण कर रैगिंग नहीं लिया जाना सुनिश्चित करें। यदि नव प्रवेशित छात्रें हेतु पृथक से हॉस्टल ब्लॉक उपलब्ध करवाया जाना संभव नहीं है तो छात्रवास वार्डन, सुरक्षा कर्मी, संस्थान कार्मिकों की जिम्मेवारी होगी कि वे वरिष्ठ छात्रें का नव प्रवेशित छात्रें के कक्षों में प्रवेश पर निगरानी रखें तथा यह सुनिश्चित करें कि रैगिंग नहीं हो।

sd/-

(एस. के. सिंह)

निदेशक, प्राविधिक शिक्षा